327

संख्या– 1781/V–2/17(आ0)15टी0सी0–2/15

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिला अधिकारी,
हरिद्वार।

आवास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 14 अक्टूबर, 2015

विषय– जिलाधिकारी, हरिद्वार के पी0एल0ए0 में घाड़ विकास परिषद हेतु रू0 02.00 करोड़ (रूपये दों करोड़ मात्र) की धनराशि में से मा0 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने एवं जिला हरिद्वार के घाड़ क्षेत्र में कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु व्यय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक–2214/पी0ओ0सी0, दिनांक 21.08.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–378/V–2/17(आ0)15/2015, दिनांक 30.03.2015 द्वारा घाड़ क्षेत्र विकास परिषद, हरिद्वार हेतु कुल रूपये 02.00 करोड़ की धनराशि कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, हरिद्वार के पी0एल0ए0 खातें में रखें जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। घाड़ क्षेत्र विकास परिषद हेतु पी0एल0ए0 में रखी गयी सुरक्षित धनराशि रू0 02.00 करोड़ में से मा0 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष घाड़ क्षेत्र विकास परिषद को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं जिला हरिद्वार के घाड़ क्षेत्र में घाड़ क्षेत्र विकास परिषद के कार्यालय के सुचारू संचालन हेतु रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है:–

(i) कार्यालय ज्ञाप संख्या–852, दिनांक 08 जून, 2015 **(प्रति संलग्न)** द्वारा घाड़ क्षेत्र विकास परिषद में अध्यक्ष पद पर श्री राव फरमूद एवं उपाध्यक्ष पद पर श्री अरूण कुमार त्यागी को अग्रिम आदेशों तक नामित किया गया है एवं सचिव गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–658, दिनांक 28.08.2015 **(प्रति संलग्न)** द्वारा घाड़ क्षेत्र विकास परिषद के पद पर शासन द्वारा नामित अध्यक्ष को मंत्री स्तर (दर्जा) एवं उपाध्यक्ष को अन्य दायित्वधारी महानुभावों दर्जा प्रदान करते हुए मुख्य सचिव, गोपन मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–509, दिनांक 04.06.2015 **(प्रति संलग्न)** उल्लिखित व्यवस्थानुसार सुविधायें अनुमन्य की गयी है।

(ii) मासिक व्यय विवरण प्रपत्र–बी0एम0–8 पर हर माह 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(iii) यात्रा, टेलीफोन एवं पेट्रोल आदि पर व्यय हेतु विशेष रूप से मितव्ययता बरती जाय।

(iv) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्रप्ति नियमावली–2008 के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाय।

क्रमशः पृष्ठ–02

(v) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रपत्र–10 पर प्रत्येक माह प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

(vi) इस संबंध में होने वाला व्यय जिलाधिकारी, हरिद्वार के पी0एल0ए0 में उपलब्ध घाड़ क्षेत्र विकास परिषद हेतु धनराशि में से आहरित की जायेगी।

(vii) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–547/2015, दिनांक 12.10.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

<u>संलग्न–यथोक्त।</u>

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्या– 1781/V–2/17(आ0)15टी0सी0–2/15–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर सचिव, मुख्यमंत्री (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. अपर मुख्य प्रशासक, घाड़ क्षेत्र विकास परिषद, हरिद्वार।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
9. मुख्य निवेश आयुक्त उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव